भ्रष्ट व नालायक एसएचओ को बचाने में जुटे अफसर

फ़रीदाबाद (म.मो.) थाना एनआईटी में पिछले करीब 40 बरसों से इन्सपेक्टर स्तर का अधिकारी ही एसएचओ लगता आया है, लेकिन अब कमिश्नरी बनने के बाद गत कुछ माह से इस थाने में एक सब इन्सपेक्टर को बतौर एसएचओ तैनात किया हुआ है। कई बार ऐसा भी संभव होता है कि कोई लायक इन्सपेक्टर उपलब्ध न होने पर किसी लायक एवं वरिष्ठ सब इन्सपेक्टर को भी काम चलाने के लिए ऐसे पद पर लगा दिया जाता है। पर इस थाने में एसएचओ लगा अब्दुल शाहिद न तो कहीं से लायक दिखता है न कहीं से वरिष्ठ, बल्कि इसी थाने में बैठे कुछ सब इन्सपेक्टर इससे लायक भी हैं और वरिष्ठ भी। फ़िर ऐसे कौन से सुर्खाब के पर इस अब्दुल शाहिद में लगे हैं जो इस पद पर लगा रखा है? जाहिर है, वह लूट का माल काफ़ी ऊपर तक पहुंचाता है। इसी सच्चाई के चलते पूजा भारद्वाज बनाम राजू बेदी केस में वह पूरी तरह से नंगा हो चुकने के बावजूद बेखौफ़ लूट-मार में जुटा है।

पिछले अंकों में सविस्तार लिखा जा चुका है कि उक्त एसएचओ ने 2.2.10 को पूजा भारद्वाज से बलात्कार की एक झूठी दरखास्त ले कर राजू बेदी, प्रीति व एक ड्राइवर को मुल्जिम बना कर 3.2.10 को थाने बुला लिया। सुबह से रात तक बुरी तरह हड़काने के बाद तब छोड़ा जब उसने 90,000 रुपये की रकम बतौर रिश्वत अगले दिन ले कर आने का वायदा किया। अगले दिन यानी कि 4.2.10 को 90,000 प्राप्त करने के बाद इस एसएचओ ने अपने किसी मातहत को भेज कर मौका मुआयने की रस्म अदायगी करवाई जिसके एवज में उस मातहत ने भी 2000 रुपये झटक लिये।

इसके बाद एसएचओ ने रपट रोज़नामचा लिखी कि मौका मुआयना करने पर पूजा द्वारा बयान की गई घटना तो असल है, परंतु किसी संज्ञेय अपराध को होना नहीं पाया गया है। लूट की इस रकम में से पूजा को जब हिस्सा नहीं मिला तो उसने राजू को फ़िर फ़ोन पर तंग करना शुरू किया तो राजू ने पुलिस आयुक्त को दिनांक 4 अप्रैल 2010 को शिकायत कर दी कि उससे 90,000 ले कर समझौता भी करा दिया, इसके बावजूद भी उसे तंग किया जा रहा है। इस शिकायत से एसएचओ तिलमिला गया और उसने तथाकथित वारदात के 70 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को मुकदमा नंबर-90 दर्ज कर के राजू को सबक सिखाने का प्रयास किया।

एसएचओ द्वारा ली गई 90,000 की रिश्वत की एक फ़र्जी सी जांच पुलिस कमिश्नर ने एसीपी ट्रैफ़िक रामकिशन को सौंप दी। यद्यपि तथ्यों के आधार पर एसएचओ द्वारा ली गई रिश्वत साफ़-साफ़ नज़र आ रही है, लेकिन एसीपी ने जांच की औपचारिकता पूरी करते हुये अपनी रिपोर्ट दे दी कि एसएचओ ने कोई रिश्वत नहीं ली। राजू ने यह आरोप इसलिये लगाया है कि उसके खिलाफ़ बलात्कार का केस बनता है। उसी केस से बचने के लिये राजू ने यह झूठी दरखास्त दी है।

अब कोई पूछे उस जांच अधिकारी से कि 2.2.10 को जब पूजा ने बलात्कार की शिकायत थाने में दी तो उस 'ईमानदार' एसएचओ ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? लड़की की डॉक्टरी जांच तुरंत क्यों नहीं कराई? राजू को अगले दिन (3.2.10 को) थाने में किसलिये बुलाया था और 12 घंटे थाने में उसे बैठा कर छोड़ क्यों दिया, उसे गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? इतना ही नहीं, इसके अगले दिन (4.2.10 को) राजू थाने में क्या करने आया था और जो रपट रोज़नामचा नंबर-18 उसी दिन लिख कर राजू को क्यों दी थी? यदि एसएचओ ने रिश्वत नहीं ली थी तो इसी रपट में यह क्यों लिखा था कि कोई संज्ञेय अपराध होना नहीं पाया गया?

फ़िर राजू ने तो रिश्वत की शिकायत 4 अप्रैल 2010 को की थी जबकि एसएचओ ने बलात्कार का मुकदमा 14 अप्रैल को दर्ज किया, 70 दिन बाद इस मुकदमे को दर्ज किये जाने का कारण क्या कोई जांच अधिकारी बता सकता है? ये सारे प्रश्नचिह्न चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि एसएचओ ने रिश्वत ली है जिसमें से हिस्सा ऊपर तक पहुंचा हुआ है, इसलिये मिल-बांट कर खाने वाले सारे लोग उसे बचाने में जुटे हैं। मुकदमे का 14 अप्रैल को दर्ज होना ही स्वत: सिद्ध करता है कि राजू द्वारा शिकायत किये जाने से नाराज़ एसएचओ ने केवल बदला लिये जाने की नीयत से ही इसे दर्ज किया था।

यहां गौरतलब एक तथ्य यह भी है कि राजू की कार और उसके भाई का मोटर साइकिल पुलिस ने बिना किसी लिखत-पढ़त के गत तीन माह से कब्जे में कैसे ले रखे हैं? जब 'मुल्ज़िम' को ही गिरफ़्तार नहीं किया गया तो वाहनों को कैसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखा है और वह भी बिना किसी रसीद के? इन दोनों वाहनों की तथा राजू की जामातलाशी में ली गई नकदी व चीज़ों की कहीं कोई एन्ट्री नहीं है। यह सब राजू परिवार पर एक मानसिक दबाव बनाने के लिये ही तो है।

मामला ज्यादा उछलता देख पुलिस कमिश्नर ने पहले तो यह केस सीआईए को दिया, फ़िर वापस थाना एनआईटी को दिया। कुछ दिन बाद डीसीपी एनआईटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई और फ़िलहाल इस मामले को एसीपी मुजेसर के नेतृत्व में एसएचओ सारण व एक महिला एएसआई कमलेश देख रहे हैं।

इस नयी टीम ने राजू को धारा 160 का नोटिस भेज कर दिनांक 13.6.10 को थाना सारण में तलब किया था। इसके बाद बिना किसी लिखित नोटिस के कई बार इन लोगों को थाना सारण बुलाया गया। जांच के नाम पर राजू पक्ष पर पुलिस ने बार-बार यही दबाव बनाया कि वह पूजा से राजीनामा कर ले तथा एसएचओ अब्दुल के विरुद्ध दी गई रिश्वतखोरी की शिकायत को वापस ले ले।

इतना ही नहीं, राजू परिवार पर दबाव बनाने के लिये पुलिस की शह पर पूजा ने भाड़े के गुंडे के साथ दिनांक 15.6.10 को राजू के घर पर भी धावा बोल दिया। बड़ी मुश्किल से पड़ोसियों ने राजू परिवार को बचाया तथा पीसीआर को बुलाया। पुलिस पूजा को तो पकड़ कर थाना सेंट्रल ले गई, लेकिन कुछ ही देर बाद 'टेलीफ़ोन' आ जाने पर उसे छोड़ दिया। राजू परिवार द्वारा काफ़ी मशक्कत किये जाने के बाद पुलिस ने पूजा के विरुद्ध भादसं की धारा 452, 427, 323 व 506 के तहत मुकदमा नंबर-362 दर्ज किया। पूजा के साथ आया गुंडा जो राजू की पत्नी का पर्स उठा कर ले गया, उससे संबंधित धारा लगाने की पुलिस ने जरूरत नहीं समझी। ख़बर लिखे जाने तक पुलिस ने इस मुकदमे में पूजा व उसके साथी को गिरफ़्तार नहीं किया है।

बिजली : 5500 करोड़ का घाटा जनता से वसूलने की तैयारी

चंडीगढ़ (म.मो.) जनता को बिजली उपलब्ध कराने के नाम पर नेताओं, अफ़सरों व ठेकेदारों द्वारा मचाई गई लूट के कारण खड़े हो गये 5500 करोड़ रुपये के घाटे को जनता से वसूलने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अपने आप को पाक-साफ़ और निष्पक्ष दिखाने के लिए सरकार ने अपने एक सेवा निवृत अफ़सरशाह भास्कर चटर्जी के नेतृत्व में एक प्राधिकरण बना रखा है। इस प्राधिकरण का काम केवल नाटकबाज़ी कर के बिजली विभाग की करतूतों व लूट-मार को ढकना है।

पिछले दिनों सरकार ने इसी प्राधिकरण में अपील दायर की थी कि जनता को बिजली उपलब्ध कराने में सरकार का घाटा 5500 करोड़ से भी अधिक हो चुका है। इसे पूरा करने के लिये जनता से वसूली करने के लिये उसे इजाजत दी जाये। भास्कर चटर्जी ने एक अच्छे कलाकार की भूमिका निभाते हुए राज्य के वित्त सचिव अजित मोहन शरण को तलब कर पूछा कि क्या वे इस घाटे को पूरा कर पाने की स्थिति में हैं? उनका अपेक्षित जवाब था कि वे कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी के अलावा और कोई घाटा भुगतने की स्थिति में नहीं हैं। यह बात अगर चटर्जी नहीं भी पूछते तो भी सबको पता है कि सरकार यह घाटा नहीं भुगतेगी और इसकी वसूली जनता से ही करेगी। बस अब आजकल में भास्कर चटर्जी की मुहर लग जाने के बाद वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी।

यदि यह प्राधिकरण वास्तव में ही निष्पक्ष और जनहितैषी होता तो सरकार से पूछता कि बिजली जैसे मुनाफ़े के धंधे में इतना बड़ा घाटा हुआ कैसे? वे कौन लोग हैं जो मुनाफ़ा तो डकार गये सो डकार गये, 5500 करोड़ का घाटा भी कर गये? क्यों न इस घाटे के लिये जिम्मेदार लोगों को चिह्नित कर के उनसे वसूली की जाये? परंतु जहां भास्कर चटर्जी को नियुक्त करने वाली खुद सरकार, उसके वरिष्ठतम अफ़सर और उनके लगुये-भगुये सभी इस रकम को डकार चुके हों तो वहां भास्कर चटर्जी और उनके प्राधिकरण ने क्या करना था, सिवा नाटकबाजी के?

मैट्रो पर एमसीडी की दादागिरी

निकम्मी सरकार तमाशबीन

दिल्ली (म.मो.) पिछले करीब चार वर्षों से दिल्ली नगर निगम मैट्रो रेल कारपोरेशन के साथ इस बात को लेकर पंगेबाजी करती आ रही है कि मैट्रो स्टेशनों पर इसके द्वारा बनाई गई दुकानें एवं मॉल व्यापारिक संस्थान हैं जिनको चलाने के लिए मैट्रो को एमसीडी से अनुमति लेना जरूरी है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाय तो अनुमति का मतलब है कि मैट्रो करोड़ों रुपये की रकम एमसीडी को अदा करे। दुकानें एवं मॉल सब यूं ही चलेंगे, बस केवल एमसीडी को करोड़ों रुपये अदा करके उससे अनुमति ले ली जाये। सर्वविदित है कि डीएमआरसी - दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन भारत की संसद द्वारा पारित एक विधेयक के अनुरूप गठित की गई है। कहने की जरूरत नहीं कि परिवहन का यह आधुनिकतम साधन एक विशुद्ध व्यावसायिक गतिविधि है। डीएमआरसी को जो भी भूमि आवंटित की गई है, वह व्यावसायिक गतिविधि चलाने के लिये ही दी गई है। फ़िर स्टेशनों पर आने वाली सवारियों को यदि छोटी-मोटी खरीददारी की सुविधा देने के लिये मैट्रो ने कुछ दुकानें बना दी तो एमसीडी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?

देश की किसी भी नगर निगम की तरह एमसीडी भी एक ऐसी संस्था है जिसमें जितना मर्ज़ी पैसा झोंक दो, सब स्वाहा है। पैसे की अपनी इसी भूख को मिटाने के लिये एमसीडी को जहां कहीं भी थोड़ी-बहुत संभावना नज़र आती है, यह उसे झपटने को बिना सोचे-समझे वहां दादागिरी करने जा पहुंचती है। दूसरी ओर मैट्रो अपेक्षाकृत साफ़-सुथरी छवि की संस्था है। अपनी कर्तव्यनिष्ठा एवं कार्यप्रणाली से आज इसने न केवल दिल्ली वासियों का, बल्कि तमाम भारत वासियों का मन जीत लिया है।

स्टेशनों पर दुकानें एवं मॉल चलाने के पीछे मैट्रो का तर्क है कि इससे जहां एक ओर यात्रियों को सुविधा होगी, वहीं पैसे के संकट से जूझ रही मैट्रो को कुछ अतिरिक्त आय भी हो जायेगी। लेकिन जिस एमसीडी ने आधी दिल्ली लूट खाई, उसको यह गवारा नहीं है। उसका सोचना है कि मैट्रो की लागत खर्चा आदि जाये भाड़ में, ऐसे इससे क्या लेना-देना, उसे तो केवल अपनी लूट से मतलब है।

इस सारे मामले में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही संस्थान भारत सरकार के हैं और इसी सरकार के अफ़सरों द्वारा चलाये जा रहे हैं।

देश की राजधानी में सारी सरकार की नाक के नीचे दोनों संस्थान कुत्ते-बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं और सरकार सो रही है। मैट्रो स्टेशनों की दुकानें एमसीडी द्वारा सील कर दिये जाने के बावजूद जब सरकार हरकत में नहीं आई तो मैट्रो हाई कोर्ट गई। अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हुए इस कोर्ट ने भी कोई न्याय न करके एक लंबी-सी तारीख दे दी। लेकिन मामला काफ़ी खिंचता व अपनी किरकिरी होती देख सरकार की नींद यकायक टूट गई। दिल्ली के उप राज्यपाल ने शालीनतापूर्वक एमसीडी को डपट दिया और मामला सुलट गया। प्रश्न यह पैदा होता है कि उप राज्यपाल क्या यह काम बहुत पहले नहीं कर सकते थे? दोनों संस्थानों का सार्वजनिक रूप से जुलूस निकलवाना और इस पर दोनों के संसाधनों को बर्बाद करना क्या बहुत जरूरी था?

पानीपत थर्मल : चार माह से यूनिट नं.1 बंद, यूनिट नं. 8 नौ बार ट्रिप

पानीपत (म.मो.) 117 मेगावाट की यूनिट नं. 1 गत चार माह से बंद पड़ी है, क्योंकि उसकी टरबाइन के 6 बैरिंग खराब हो गये थे जिनको बदलने एवं मुरम्मत का काम चल रहा है। ये 6 बैरिंग कोई यूं ही खराब नहीं हो गये, बल्कि यहां नियुक्त अफ़सरों की हरामखोरी एवं नालायकी के चलते पूरी तरह से तबाह हो गये।

क्या हैं ये बैरिंग? टरबाइन के 30 टन वजनी रोटर को सुरक्षित घुमाने के लिये ये बैरिंग लगाये जाते हैं। इन बैरिंगों में सोने से भी कीमती एक व्हाइट मेटल होता है, इस मेटल और रोटर के बीच एक विशेष प्रकार के तेल को इतने दबाव से भेजा जाता है कि वह रोटर को उस व्हाइट मेटल से भी छूने न दे। इस दबाव को बनाने के लिये बड़े प्रेशर पंप होते हैं जो बिजली से चलते हैं। यकायक बिजली फ़ेल हो जाने पर बैटरी से इमरजेंसी आयल पंप (इओपी) स्वत: चल पड़ते हैं। पहली मार्च को बिजली फ़ेल होने पर जब इओपी चले तो डुप्लेक्स फिल्टर की रॉड टूटने से तेल टरबाइन के बैरिंगों तक पहुंचा ही नहीं जिसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यदि तुरंत ध्यान दिया होता तो वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती थी। लेकिन इंजीनियरों की लापरवाही के चलते रोटर एवं बैरिंगों का सत्यानाश हो गया। इस पर कम से कम 10 करोड़ का खर्चा लगेगा तथा बिजली उत्पादन का जो नुकसान हुआ वह अलग से।

यूनिट नं. 8 एक जून से 25 जून के बीच नौ बार तो लॉग बुक के मुताबिक ट्रिप हो चुकी है जबकि कुछ ट्रिपिंगों की लॉग बुक में इंट्री ही नहीं की गई है। ये सभी नौ ट्रिपिंग बंकरों में कोयले की कमी के कारण हुई हैं। विदित है कि यह यूनिट 250 मेगावाट की सबसे बढ़िया यूनिट है। यदि इसमें कोयले आदि की आपूर्ति सही रहे तो यह 275 मेगावाट तक बिजली पैदा करती है। लेकिन पिछले दिनों कोयले की आपूर्ति सही न होने के कारण इसे 230 मेगावाट लोड पर चलाया जा रहा था। इस यूनिट की यह विशेषता रही है कि यह चलती ही सही ढंग से 250 मेगावाट के ऊपर। ज्यों-ज्यों इसका लोड घटने लगेगा, यह ट्रिपिंग की ओर बढ़ने लगती है। इतना जानने के बावजूद इस यूनिट का नौ बार ट्रिप होना अफ़सरों की नालायकी नहीं तो और क्या है? लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद किसी भी अफ़सर को इसके लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है और न ही किसी को सज़ा दी गई है। इन दोनों यूनिटों के अलावा शेष छ: यूनिटें पानीपत की और दो यूनिटें यमुनानगर में भी ट्रिपिंगें लगातार हो रही हैं। यमुनानगर की दोनों यूनिटें 300-300 मेगावाट की हैं। इनमें से एक 280 तथा दूसरी 160 मेगावाट लोड पर चल रही हैं। इस प्रकार जहां इन दोनों यूनिटों से 600 मेगावाट बिजली प्राप्त होनी चाहिये थी, वहां केवल 440 मेगावाट का ही उत्पादन हो रहा है। यूनिट नं. 8 के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार वहां सूरजभान नामक एक एक्सईएन तथा उसका एक बिरादरी भाई नरेश कालिया पूरा जोर इस बात पर लगाये हुए हैं कि यह यूनिट चल न पाये और इसकी कोल हैंडलिंग करने वाली कंपनी टैकपरो का ठेका रद्द हो कर नरेश को मिल जाये। जानकार बताते हैं कि इस बात का ज्ञान चीफ़ इंजीनियर वशिष्ठ को भी है जिन्होंने सूरजभान को काफ़ी धमकाया भी है, लेकिन वह फ़िर भी सुधरने को तैयार नहीं है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में नीलू प्रिंटिंग प्रैस, प्लॉट नं 3/1, टीसीसी कॉम्पलैक्स, सेक्टर-10, फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06